न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/03/2022

हरदेवी पत्नि स्व0 मुख्त्यार सिंह जाति जाट निवासी म0न0 339 राजेन्द्र नगर भरतपुर जिला भरतपुर।

बनाम

तहसीलदार डीग

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 09.02.2022**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हरदेवी पत्नि स्व0 मुख्त्यार सिंह जाति जाट निवासी म0न0 339 राजेन्द्र नगर भरतपुर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2021 से तहसीलदार डीग से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी तहसीलदार डीग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/846 दिनांक 20.01.2022 के द्वारा तहसीलदार डीग से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध तहसीलदार डीग से पत्र कमांक राजस्व/आर.टी.आई/2022/175 दिनांक 07.02.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं तहसीलदार डीग ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार डीग से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार डीग से प्राप्त जबाब पत्र कमांक राजस्व/आर.टी.आई/2022/175 दिनांक 07.02.2022 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार डीग ने अपने जबाब में उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के सबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र तहसील कार्यालय डीग में प्राप्त नही हुआ है, जिससे आवेदक को सूचना नही दी जा सकी है। यदि प्रार्थियां निर्धारित आवेदन पत्र मय पोस्टल ऑर्डर जमा करा देवे तो उसे सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी। इसकी सूचना प्रार्थियां को भी भिजवाई गई है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट के आवेदन पत्र प्राप्त नही होने के कारण वांछित सूचनाऐं उपलब्ध नही कराई हैं। अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार डीग के कार्यालय में नियमानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार डीग से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार डीग को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर